भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)

RBA NO. 15 /2023
GST Circular NO.02/2023

No. 2017/AC-II/1/6/ GST Main/Vol.IV

New Delhi, dated 03.05.2023

Pr. Financial Advisor,
All Zonal Railways/PUs

Sub: Requirement to file form GSTR-9 and GSTR-9C for FY 2021-22- (discharging of outstanding liability.)

Ref:-1. Board's letter of even no. dated 6.12.2022 RBA No. 54/ 2022.
2. CR's letter No. AC/HQ/3317/GST corres/2023-24 dt 17.4.23

Attention is invited to Board's letter ibid where in it was advised that MoR, being a department of the Central Government whose books of account are subject to audit by the C&AG shall NOT be required to furnish FORM GSTR-9 and FORM GSTR-9C for FY 2021-22 and onwards.

In this connection, Central Railway has sought for clarification regarding discharging of outstanding liability. For this purpose, DRC 03 may be filed on the GST portal to discharge any outstanding GST liability by selecting the relevant section on CGST Act,2017 and the reason for filing DRC 03. The Railways/PUs may also consult their local GST consultant for this exercise.

This disposes off Central Railway's letter No. No. AC/HQ/3317/GST corres/2023-24 dt 17.4.23

(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. General Managers/all Zonal Railways/Production Units
2. Director/Finance/CRIS

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए 15/2023

जीएसटी परिपत्र सं. 02/2023

सं. 2017/एसी-II/1/6/जीएसटी मेन/वॉल. IV

नई दिल्ली, दिनांक 03.05.2023

प्रधान वित्तीय सलाहकार,

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी- (बकाया देयताओं की अदायगी करना) दाखिल करने की आवश्यकता।

संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 6.12.2022 का समसंख्यक पत्र आरबीए सं. 54/2022.
2. सीआर का दिनांक 17.04.23 का पत्र सं. एसी/एचक्यू/3317/जीएसटी कॉरस्/2023-24.

आपका ध्यान बोर्ड के पूर्वोक्त पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह सूचित किया गया था कि रेल मंत्रालय के केन्द्रीय सरकार का विभाग होने के नाते, जिसकी लेखा बहियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, को वित्त वर्ष 2021-22 और उससे आगे के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9सी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस संबंध में, मध्य रेलवे द्वारा बकाया देयताओं की अदायगी करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस प्रयोजन के लिए, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 पर संगत धारा का चयन करते हुए किसी बकाया जीएसटी देयता की अदायगी के लिए जीएसटी पोर्टल पर डीआरसी 03 दाखिल करने का कारण बताते हुए डीआरसी 03 दाखिल किया जाए। रेलें/उत्पादन इकाइयां इस कार्यवाही के लिए उनके स्थानीय जीएसटी परामर्शदाता से भी परामर्श कर सकती हैं।

इससे मध्य रेल के दिनांक 14.04.2023 के पत्र सं. एसी/एचक्यू/3317/जीएसटी सीओआरआरईएस/2023-24 का निपटान होता है।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक/सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
2. निदेशक/वित्त/क्रिस